निवासी...
स्टाम्प विक्रेता सुनील ...
चौधरी कम्पा कचेहरी ...
... 221 ...

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 773515

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई, कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता मैनेजिंग ट्रस्टी तथा संस्था के प्रबन्धक/प्राचार्य के पद नाम से खोला जायेगा एवं मैनेजिंग ट्रस्टी तथा प्रबन्धक/प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा अथवा बैंक खाता खुलवाने एवं संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी ट्रस्टी को नियुक्त कर सकता है।

15. **विधिक कार्यवाही –**

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव, अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

16. **सम्पत्ति सम्बन्धी –**

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. मैनेजिंग ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है। गिरवी रख सकता है किराये पर दे सकता है, ले सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट हेतु किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी

नन्दलाल डा० के० एल० पटेल
एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
[illegible], फूलपुर, इलाहाबाद

क्र० 76 दिनांक 21/1/18 [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम [illegible]

निवासी [illegible]

स्टाम्प विक्रेता सुनील कुमार [illegible] लाइसेंस [illegible]

[illegible] कचहरी [illegible]

ला० नं० 221 अवधि 31 मार्च 201[illegible]

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 773516

6. मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट के धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्यीभूत (Guarantee) भाड़ा क्रय (Hire Purchase) बन्धक (Mortage) भारित (Charge) गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/ दे सकता है।

17. **ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का संविधान –**

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं तथा विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के गठनबन्धन एवं अन्य ट्रस्ट सम्बन्धित समितियों के सुचारू प्रबन्धन हेतु एक प्रबन्धन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी। जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष	–	एक
उपाध्यक्ष	–	एक
प्रबंधक	–	एक (मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
उपप्रबंधक	–	एक (मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
कोषाध्यक्ष	–	एक
सदस्य	–	दो (मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
संस्था का प्रधान	–	एक (पदेन)
संस्था प्रतिनिधि	–	नियमानुसार नामित।
संस्था कर्मचारी प्रतिनिधि	–	नियमानुसार नामित।

मैनेजिंग ट्रस्टी
नन्दलाल डा० के० एल० पटेल
एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
करारी, फूलपुर, इलाहाबाद

मैनेजिंग ट्रस्टी
नन्दलाल डा० के० एल० पटेल
एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

क्रमांक .... तिथि 22/7/18 - 58/

स्टाम्प क्रेता का नाम ....

निवासी ....

स्टाम्प विक्रेता सुनील .... लाइसेंस

चौरासी खम्भा कचेहरी - ....

न० 221 अवधि 31 मार्च 2019

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 773517

उपरोक्त प्रबन्ध समिति के पदेन एवं नामित सदस्यों को छोड़कर शेष का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी की देख-रेख में अपने मे से ही 3 वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि कोई पद अपने आप अथवा किन्हीं कारणों से हटा दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हो जाता है, तो उस पर नये पदाधिकारी का चयन ट्रस्टियों में से ट्रस्टी मण्डल द्वारा बहुमत से शेष अवधि के लिए किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठकें भी हो सकती हैं। जिसके लिए सूचना एवं एजेण्डा एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक बैठक कभी भी एक दिन के अन्दर हो सकती है। आपातकाल में प्रबंधक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है। जिसका बाद में प्रबंध समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। इस प्रबन्ध समिति के समस्त निर्णयों से ट्रस्टी मण्डल को अवगत कराकर उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वह उसे क्रियान्वित कर सकता है।

संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय को कार्यान्वित करने से पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी की लिखित रूप से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार होगा कि वह ट्रस्ट से संचालित किसी भी कालेज/संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णय/निर्णयों में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

18. **प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व –**

अध्यक्ष –

प्रबन्ध समिति की बैठकों को आहुत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना, बैठकों की अध्यक्षता करना, समिति के निर्णयों की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति में बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समस्त सदस्यों को निर्णय से

मैनेजिंग ट्रस्टी

क्रम 73 दिनांक 20/7/18 [redacted]

स्टाम्प क्रेता का नाम [redacted]

निवासी [redacted]

स्टाम्प विक्रेता सुनील (लाइसेंस)

चौरासी खम्भा कचेहरी इलाहाबाद

लाइसेंस नं.221 अवधि 31 मार्च 201

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 773518

अवगत कराने के लिए प्रबन्धक को निर्देशित करना। उसके बाद ही प्रबन्धक उसे कार्यान्वित कर सकता है।

उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक –

प्रबन्धक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करेगा। तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को एजेण्डा सहित प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन–देन, पत्र व्यवहार, नियुक्तियां, वेतन विवरण, क्रय–विक्रय, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे सम्बन्धित समस्त पत्राजातों का रख–रखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबंध समिति में किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में वह ट्रस्टी मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा ट्रस्टीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करेगा।

उपप्रबन्धक –

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष –

निधियों का संरक्षण करना वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयों पर संस्तुति प्रदान करना, बैंक खाते का लेखा–जोखा रखना।

19. विशेष –

क– इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु बनाये गये नियम उपनियम ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम शून्य माने जायेंगे।

ख– मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते

मैनेजिंग ट्रस्टी
नन्दलाल डा० के० एल० पटे[illegible]
एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्र[illegible]
[illegible], [illegible], इलाहाबाद

क्रमांक .... दिनांक ....

स्टाम्प क्रेता का नाम ....

निवासी ....

स्टाम्प विक्रेता सुनील कुमार श्रीवास्तव (प्रथम)

चौरासी खम्भा कचेहरी इलाहाबाद

ला. नं. 221 अवधि 31 मार्च 201

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 773519

हुए भी अन्य निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी का विवेक/व्यवस्था ही अन्तिम होगी।

यह कि नन्द लाल पटेल ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) एवं उसमें सन्निहित नन्द लाल, डा० के०एल० पटेल एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत आत्मार्पित एवं क्रियान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख (Instrument of Trust) को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गयें

इस न्यास का सृजन एवं प्रभावी दिनांक 03.07.2018 माना जायेगा।

संस्थापक ट्रस्टी/मैनेजिंग ट्रस्टी
(नन्द लाल पटेल)

मैनेजिंग ट्रस्टी
नन्दलाल डा० के० एल० पटेल
एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट
कपसा, फूलपुर, इलाहाबाद

साक्षीगण

1-

5/7/18

राम अभिलाष पटेल पुत्र विधाराम
निवासी सराय ... फूलपुर इलाहाबाद
आधार नं० 4034,6525,9567
मो० नं० 9651803875

2-

शैलेन्द्र पटेल पुत्र हीरालाल
नि० पूरे ... पो० जगतपुर
चिरौली ... रायबरेली
आ० नं० 681556477167
मो० नं० 8874174619

क्रमांक 72 दिनांक 02/7/18 ... 50/- ... 50

स्टाम्प क्रेता का नाम ...

निवासी ...

स्टाम्प विक्रेता सुनील कुमार जायसवाल (प्रथम)

चौरासी खम्भा कचेहरी-इलाहाबाद

ला० सं० 221 अवधि 31 मार्च 2019

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 63 के पृष्ठ 115 से 144 तक क्रमांक 69 पर दिनॉक 05/07/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अम्बुज त्रिपाठी - प्रभारी उपनिबंधक

उप निबंधक : फूलपुर

इलाहाबाद

दफ्तर सब रजिस्ट्रार फूलपुर (जिला) इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश